उपज का भण्डारण

खेती री बातां

अनाज का भण्डारण

वर्ष–15 अंक–4 मासिक पत्रिका आर.एन.आई – 70296/98 5 अप्रेल2012 वार्षिक शुल्क –12 रूपये

राजस्थान बजट 2012–13 में कृषि

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत विधानसभा में राज्य बजट 2012–13 प्रस्तुत करते हुए

जयपुर, 26 मार्च। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में बजट प्रस्तुत किया, जिसमें कृषि क्षेत्र की निम्नलिखित घोषणाएं की गई :–

★ खरीफ व रबी में बुवाई के समय डी.ए.पी. व अन्य उर्वरकों की विशेष मांग रहती है। किसानों के लिए समय पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आगामी वर्ष 2 लाख 50 हजार मैट्रिक टन डी.ए.पी, 2 लाख मैट्रिक टन एस.एस.पी., 50 हजार मैट्रिक टन कॉम्पलेक्स उर्वरक एवं 1 लाख मैट्रिक टन यूरिया का राजफैड के माध्यम से अग्रिम भण्डारण किया जायेगा।

★ महिला कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि विषय में अध्ययनरत उच्च माध्यमिक कक्षाओं की छात्राओं की प्रोत्साहान राशि 3 हजार से बढ़ाकर 5 हजार रुपये, बी.एस.सी एवं एम.एस.सी की छात्राओं की प्रोत्साहन राशि 5 हजार से बढ़ाकर 10 हजार तथा पी.एच.डी. करने वाली छात्राओं की प्रोत्साहन राशि 10 हजार से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रतिवर्ष करने की घोषणा की गई है।

★ स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के अन्तर्गत जोधपुर में एवं महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर के अन्तर्गत सुमेरपुर (पाली) में कृषि महाविद्यालय स्थापित किये जायेंगे।

★ फार्म पोण्ड निर्माण पर देय अनुदान राशि की अधिकतम सीमा 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 60 हजार रुपये तथा डिग्गी निर्माण हेतु देय अनुदान राशि 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये करने की घोषणा की गई है। आगामी वर्ष 15 हजार फार्म पोण्ड्स व डिग्गियां बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

★ बागवानी फसलों को लोकप्रिय बनाने एवं कृषकों को आवश्यक जानकारियां सुलभ कराने के उद्देश्य से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर अलवर जिले के 40 हैक्टर क्षेत्र में हॉर्टिकल्चर पार्क विकसित किया जायेगा।

★ बांसवाड़ा एंव डूंगरपूर जिलों में मक्का के हाइब्रिड बीज उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ''**बीज–ग्राम योजना**'' का क्रियान्वयन किया जायेगा।

★ कृषि गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन, कृषकों को नवीनतम कृषि

शेष पृष्ठ 3 पर.....

राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन की वेबसाइट का उद्घाटन

कृषि एंव पशुपलान मंत्री श्री हरजीराम बुरड़क ने सचिवालय के मंत्रालय भवन में राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि. की वेबसाइट www.rajseeds.com का बटन दबाकर उद्घाटन किया। इस वेबसाइट के माध्यम से राज्य के बीज उत्पादक कृषक बीज से सम्बन्धित समस्त प्रकार की तकनीकी एवं व्यवसायिक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

योजनाओं में आवंटित राशि का कृषक हित में उपयोग हो

जयपुर, 16 मार्च। कृषि मंत्री श्री हरजीराम बुरड़क ने पंत कृषि भवन के सभागार में आयोजित कृषि व उद्यान विभाग की राज्य में क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की।

कृषि मंत्री ने इस अवसर पर उपस्थित कृषि व उद्यान विभाग के अधिकारियों से कहा कि कृषि योजनाओं में केन्द्र सरकार से जो राशि विभाग को आवंटित होती है, उस राशि का कृषक हित व कृषि विकास में समयानुसार व्यय होना चाहिए। उन्होंने राज्य की सभी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं को 31 मार्च से पहले सुचारु रुप से संचालित करने के निर्देश भी दिये ।

बैठक में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, आईसोपॉम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, आत्मा योजना, कृषि व उद्यान विभाग की राज्य योजना, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन, राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन, सोलर पम्प योजना की प्रगति तथा बजट घोषणाओं की क्रियान्विति की समीक्षा की गई।

राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना स्वीकृत

जयपुर, 28 मार्च। विश्व बैंक ने राजस्थान में जल के समुचित प्रबन्धन एवं टिकाऊ पद्धति द्वारा कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये 832 करोड़ रुपये की ''राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना'' को स्वीकृत कर दिया है।

कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों से सुझाव मांगे जायेंगे

जयपुर, 15 मार्च। राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष श्री नारायण सिंह ने बीकानेर में पशु चिकित्सा एवं विज्ञान कॉलेज के प्रेक्षागृह में प्रथम कृषक संभागीय सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा कि राज्य में कृषि उत्पादन कैसे बढ़े और किसानों की कृषि संबंधी समस्याओं का निवारण कैसे हो, इसके लिए राज्य के किसानों से सुझाव प्राप्त किये जायेंगे।

उन्होंने कहा कि कृषि एवं पशुपालन से किसानों में समृद्धि कैसे आए, इसके लिए अधिकारियों एवं कृषकों के बीच संवाद स्थापित किया जायेगा और आयोग द्वारा रिपोर्ट राज्य सरकार को पेश की जायेगी।

कृषि मंत्री ने किया तीन दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन

जयपुर, 18 मार्च। स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संयुक्त तत्वावधान में दुर्गापुरा स्थित इन्टरनेशनल हॉर्टीकल्चर इनोवेशन एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर (आई.एच.आई.टी.सी.) के सभागार में ''अखिल भारतीय समन्वित बाजरा सुधार परियोजना'' पर दिनांक 18 मार्च से तीन दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए कृषि मंत्री श्री हरजीराम बुरड़क ने वैज्ञानिकों से कहा कि वे कृषकों की भलाई के लिए क्षेत्रीय जलवायु के अनुसार बीज अनुसंधान पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने कहा कि जलवायु के अनुरुप यदि गुणवत्ता युक्त बीज विकसित किए जायेंगे तो कृषि उत्पादन की दिशा में हम आगे बढ़ सकेंगे।

E mail : kheti_ri_batan@yahoo.co.in bl vad esa—— www.krishi.rajasthan.gov.in

• अप्रेल माह के कृषि कार्य.....
• चतुर फुलवा.....
• बागवानी से मिली.....
पृष्ठ 2

• गर्मी की जुताई.....
• आय का वैकल्पिक स्रोत....
• सूचना.....
पृष्ठ 3

• शून्य ऊर्जा शीत गृह.....
• परख प्रतियोगिता.....
• मिट्टी की जाँच.....
पृष्ठ 4

दूरभाष – 5116240, 2227365/211

अप्रेल माह के कृषि कार्य

फसलोत्पादन

★ समय से बोई गई गेहूँ की फसल की कटाई–मंड़ाई का प्रबन्ध कर लें अन्यथा कभी–कभी वर्षा या ओले गिरने से फसलों को भारी नुकसान हो सकता है।

★ जौ, चना,मटर,सरसों व मसूर आदि की कटाई व मंड़ाई पूरी कर लें।

★ किसान अपने खेतों से मिट्टी व पानी के नमूने लेकर मिट्टी पानी की जांच करायें।

सब्जियाँ

★ करेला, तुरई, टिण्डा, ककड़ी व खरबूजा में फल मक्खी के प्रकोप से फल काणे हो जाते हैं। फल मक्खी के नियंत्रण हेतु काणे फलों को तोड़कर भूमि में गहरा गाड़कर नष्ट कर देवें तथा कीटनाशी दवा मैलाथियान 50 ई.सी. या डाइमिथोएट 30 ई.सी. का एक मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें।

★ जायद भिण्डी की फसल में पीत–शिरा मोजैक रोग के प्रकोप की संभावना है। इस रोग के प्रकोप से पत्तियां और फल पीले पड़ जाते हैं। पत्तियां चितकबरी होकर प्यालेनुमा शक्ल की हो जाती हैं। इस रोग का प्रसार ''सफेद मक्खी'' नामक कीट से होता है। अतः इसके नियंत्रण हेतु फूल आने से पहले तथा फूल आने के बाद मैलाथियान 50 ई.सी. दवा का एक मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें।

★ ग्रीष्मकालीन सब्जियों में विषाणु रोग के प्रकोप के लक्षण जैसे ऐंठन, मुरझाना, रोगग्रसित फलों एवं पत्तों का आकार बेडोल होना इत्यादि दिखाई देने पर रोग के प्रसार को रोकने के लिए मैलाथियान 50 ई.सी दवा का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें।

पुष्पोत्पादन

★ गुलाब में आवश्यकतानुसार सिंचाई एवं गुड़ाई करें तथा बेकार टहनियों को तोड़ दें।

★ ग्लैडियोलस के कन्दों की खुदाई से 15 दिन पहले सिंचाई बन्द कर दें और स्पाईक काटने के 40 दिन बाद घनकन्दों (कोर्म) की खुदाई करें। कोर्म को 0.2 प्रतिशत मैंकोजेब पाउडर से शुष्क विधि से उपचारित कर शीतगृह में भण्डारण कर दें अन्यथा कन्द सड़ जायेंगे।

पशुपालन व दुग्ध उत्पादन

★ पशुओं को तेज धूप से बचायें तथा धूप में नहीं नहलायें।

★ पशुओं के लिए बदलते हुए मौसम के अनुसार सुपाच्य तथा पौष्टिक चारे की व्यवस्था करें।

★ गायों में समय से कृत्रिम गर्भाधान संपादित करवायें।

चारा फसलें

★ गर्मी में चारे के लिए मक्का, लोबिया व बहु कटाई वाली चरी की बुवाई अभी भी की जा सकती है।

★ मक्का व लोबिया मिलाकर बोने से अच्छी गुणवत्ता का चारा प्राप्त होता है।

★ बहु कटाई वाली चरी में बुवाई के एक माह बाद प्रति हैक्टर 30 किग्रा नाइट्रोजन (65 किग्रा. यूरिया) दें तथा इतनी ही मात्रा पहली कटाई पर भी दें। फिर प्रत्येक कटाई के बाद 20 किग्रा नाइट्रोजन (44 किग्रा यूरिया) की टॉप–ड्रेसिंग करते रहें।

सूखी– धरती करे पुकार,
जल सरंक्षण में है सार।

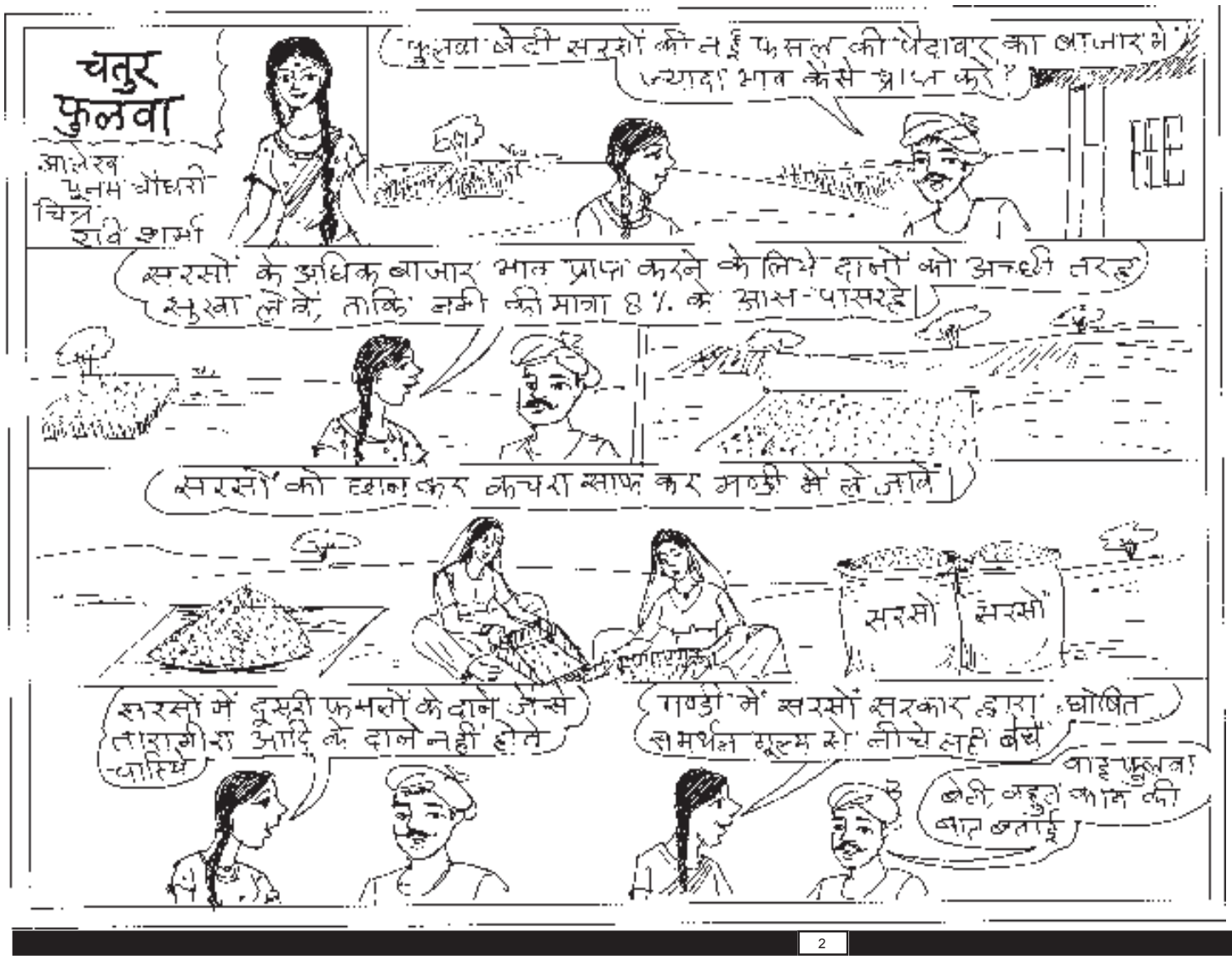

बागवानी से मिली छोगालाल को पहचान

राज्य सरकार से कनिष्ठ लिपिक के पद से स्वेच्छिक सेवानिवृति लेने के बाद छोगालाल ने जमीन खरीद कर कृषि विभाग से सम्पर्क किया और खेत पर कृषि कार्य शुरु किया। उन्होनें कृषि विभाग के सहयोग से उन्नत बीज प्राप्त कर खेती प्रारम्भ की। वर्ष 2001 में कृषि विभाग के सहयोग से खेत पर बेर, लेसुवा (गूंदा) के पौधे लगाये लेकिन पानी की कमी के कारण करीब 80 प्रतिशत पौधे जल गये। लेकिन उन्होनें हिम्मत नहीं हारी। वर्ष 2006–07 में अच्छी वर्षा होने के कारण भूमिगत जल स्तर बढ़ गया और कृषक ने पुनः बेर के 1200 पौधे, लेसुवा के 175 पौधे, आंवले के 200 पौधे लगाये। कृषक ने पथरीली रेगिस्थानी जमीन से वर्ष 2009–10 में कुल आमदनी 1.5 लाख रुपये प्राप्त की। कृषक अपने फार्म पर बेर, लेसुवा, आंवला, जरबेरा, नीम्बू, खजूर, अनार, व अन्य कई औषधीय पौधे उगा कर इस रेगिस्तानी पथरीली जमीन पर खेती कर रहा है। आज कृषक बाड़मेर जिले में एक प्रगतिशील कृषक के रुप में पहचाना जा रहा है क्योंकि इस उम्र में मनुष्य थक हार कर बैठ जाता है जबकि छोगालाल दूसरे कृषकों के लिए प्रेरणास्त्रोत साबित हुए हैं। कृषक का पता है:–

श्री छोगालाल सोनी
पुत्र श्री अखाराम सोनी,
कल्याणपुरा, मार्ग संख्या 3,
बाड़मेर, मो.न. 9571922525

उपज की सही कीमत पाएं।

फसल को साफ सुथरे खलिहान में सुखायें, थ्रेसिंग कर दाने साफ कर, सुखा कर तथा बोरियों में भरकर मण्डी में ले जायें।

गर्मी की जुताई – काम एक, लाभ अनेक

खेत में कई प्रकार के हानिकारक कीड़े, रोगों के जीवाणु एवं खरपतवारों के बीज प्रायः सुषुप्त अवस्था में मौजूद रहते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में फसल पर इनका प्रकोप होता है और काफी हानि हो सकती है। गर्मी के मौसम में वातावरण व जमीन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाता है। यदि ये नाशीजीव सीधे तेज धूप के सम्पर्क में आ जायें तो मर जायेंगे। अतः गर्मी में गहरी जुताई करनी चाहिए। जुताई करते समय यह ध्यान रखें कि मिट्टी भुरभुरी होने के बजाय उसके बड़े–बड़े ढेले बनें। साथ ही जुताई खेत के ढाल के आड़े करनी चाहिये।

गर्मी की जुताई के लाभ

- तेज धूप से जमीन में मौजूद

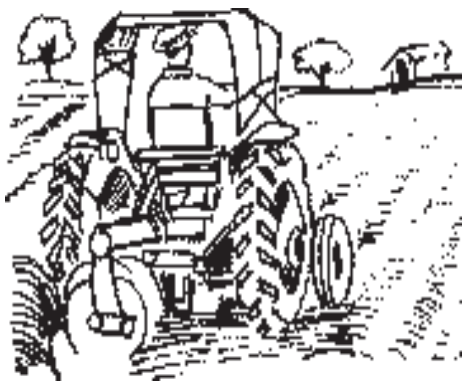

हानिकारक कीट व रोगाणु नष्ट हो जाते हैं।
- खरपतवारों के बीज नष्ट हो जाते हैं।
- जमीन की पानी सोखने की क्षमता बढ़ती है।
- जमीन में हवा का संचार बढ़ता है।
- मिट्टी के ढेलों से उड़ती हुई उपजाऊ मिट्टी व कार्बनिक पदार्थ की हानि कम होती है।

गर्मी की जुताई कब करें

गर्मी की जुताई यथासंभव फसल कटते ही आरम्भ कर देनी चाहिए, क्योंकि फसल काटने के बाद मिट्टी में थोड़ी नमी रहने से जुताई में आसानी रहती है। जुताई शाम के समय नहीं करें, यथासंभव प्रातःकाल ही करें।

पशु उत्पादों का मूल्य संवर्धन कर आय का वैकल्पिक स्त्रोत बनायें

पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आजीविका का मुख्य स्त्रोत है। अकाल एवं अभाव की स्थिति में पशुधन उत्पादन से होने वाली आय सुनिश्चित होती है। असीम सम्भावनाओं के बावजूद भी इस क्षेत्र का यथेष्ट दोहन अभी तक नहीं किया जा सका है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में पशुपालन की दृष्टि से दूध, अण्डा एवं मांस आधारित उत्पाद प्रमुख हैं। इन मूल पशु उत्पादों के मूल्य बढ़ाने का सबसे सरल व सस्ता उपाय है प्रसंस्करण। यदि इन उत्पादों का प्रसंस्करण व मूल्य संवर्धन करें तो इन पौष्टिक, औषधीय गुणयुक्त उत्पादों को लम्बे समय तक परिरक्षित कर इन्हें उन स्थानों पर भी उपलब्ध करवा सकते हैं जहां इनकी आवश्यकता है पर उपलब्धता नहीं। दुग्ध उपलब्धता का जहाँ राष्ट्रीय औसत 256 ग्राम प्रति व्यक्ति है वहीं राज्य में दुग्ध की उपलब्धता 381 ग्राम प्रति व्यक्ति है। अधिशेष उत्पादन का प्रसंस्करण के माध्यम से मूल्य सम्वर्धन कर विभिन्न उत्पादों में परिवर्तित किए जाने की अभी और आवश्यकता है ताकि उत्पादक को उचित मूल्य मिल सके व उपभोक्ता की आवश्यकता पूर्ति भी हो सके। राज्य में उत्पादित हो रहे कुल दूध का 46 प्रतिशत भाग ही तरल दूध के रुप में काम में लिया जा रहा है। यदि दूध का विभिन्न पदार्थों में प्रसंस्करण नहीं करें तो शेष भाग व्यर्थ ही चला जाएगा। आज इस अधिशेष दूध को मूल्य संवर्धित कर दूध पाउडर, मक्खन, घी, पनीर, खोया, दही तथा आइसक्रीम आदि विभिन्न उत्पादों में परिवर्तित कर प्रसंस्कृत किया जा रहा है।

खाद्य प्रसंस्करण के मामले में डेयरी क्षेत्र अग्रणी है। जहां उत्पादन का 35 प्रतिशत प्रसंस्करण कर उपभोक्ता को उपलब्ध करवाया जा रहा है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से पशुपालकों को उनके उत्पाद का मूल्य तो अच्छा मिलेगा ही साथ ही क्षेत्र में निवेश

एवं ग्रामीण समृद्धि लाने के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। बढ़ते हुए शहरीकरण एवं विभिन्न प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के उपभोक्ता होने के कारण इन पशु उत्पादों के लिए विशाल बाजार भी उपलब्ध हैं।

पौल्ट्री और पशुओं के माध्यम से प्रोटीन के नए स्रोत सामने आ रहे हैं। इनमें निर्यात की जबर्दस्त सम्भावनाएं हैं। भारत विश्व का पांचवां सबसे बड़ा अण्डा उत्पादक देश है। पौल्ट्री उद्योग में मूल्य संवर्धन की दृष्टि से अण्डा पाउडर के प्रसंस्करण एवं निर्यात में वृद्धि हुई है जबकि प्रसंस्करण और बुनियादी सुविधाओं के अभाव एवं अधिक लागत होने के कारण पौल्ट्री मीट का निर्यात नगण्य है। इन उत्पादों के मामले में तकनीक की अहम भूमिका है।

मांस प्रसंस्करण, पैकेजिंग, संरक्षण और विपणन के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास के साथ–साथ उत्पादों का मूल्य संवर्धन एवं कोल्ड चैन बनाए रखते हुए उत्पाद को उपभोक्ता तक पहुंचाए जाने की आवश्यकता है।

सम्भावनाएं एवं निवेश

1. दुग्ध उत्पाद प्रसंस्करण और विनिर्माण इकाइयों की स्थापना।
2. परिवहन (कोल्ड चैन) प्रसंस्करण, पैकेजिंग, संरक्षण।

ग्रामीण समृद्धि के लिए डेयरी क्षेत्र में उत्पादन, दूध के प्रसंस्करण एंव वितरण हेतु असंगठित क्षेत्रों के आधारभूत ढांचे में परिवर्तन कर गुणवत्ता में सुधार लाना। इसके लिए डेयरी एवं पौल्ट्री उद्योग की स्थापना एवं आधुनिकीकरण हेतु केन्द्र सरकार की वेन्चर केपिटल फण्ड योजनान्तर्गत राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के माध्यम से इच्छुक व्यक्तियों को ऋण मुहैया कराया जाता है।

सूचना

''खेती री बातां'' अखबार प्रत्येक माह की 5 तारीख को डाक द्वारा भेजा जाता है। इसमें उन सभी पाठकों को सम्मिलित कर लिया जाता है जिनका सदस्यता शुल्क गत माह की 28 तारीख तक प्राप्त हो जाता है। इसके बाद प्राप्त होने वाले सदस्यों को अगले माह अखबार भेजा जाता है।

सदस्यता शुल्क समय पर जमा कराने के उपरान्त भी यदि आपको यह अखबार माह की 10–11 तारीख तक नहीं मिलता है, तो आप अपने पोस्ट ऑफिस में सम्पर्क करें।

''खेती री बातां'' अखबार के सम्बन्ध में आपके कोई सुझाव हों या आपकी कोई नवाचारी सफलता की कहानी / आलेख हो तो हमें लिख भेजें:–

हमारा पता है:–
सम्पादक,
118,पंत कृषि भवन,
जयपुर–302005
email :-
ddagr_inf@rediffmail.com

पृष्ठ 1 का शेष..... राजस्थान बजट....

तकनीकों एवं योजनाओं का लाभ मिलना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आगामी वर्ष कृषि पर्यवेक्षकों एवं सहायक कृषि अधिकारियों के कुल 750 नवीन पद सृजित किये जायेंगे।

★ काश्तकार द्वारा अपने खेत में प्रसंस्करण इकाइयों (processing unit) की स्थापना हेतु पूंजीगत निवेश पर अनुदान उपलब्ध कराने की दृष्टि से 2 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

★ बूँद–बूँद सिंचाई संयंत्रों की स्थापना पर 90 प्रतिशत की दर से अनुदान देने हेतु 140 करोड़ रुपये तथा फर्टीगेशन आधारित ड्रिप सिंचाई को प्रोत्साहित करने हेतु 25 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

★ राज्य में 2 हजार 200 सौर ऊर्जा आधारित पम्प सेट स्थापित किये जायेंगे, जिसके लिए कृषकों को अनुदान देने हेतु 70 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

ऊसर भूमि करे पुकार,
जिप्सम डालो करो सुधार।

ऐसे मंगवायें "खेती री बातां "

घर बैठे वर्षभर **खेती री बातां** अखबार मंगवाने के लिये अपने नजदीकी कृषि कार्यालय में सम्पर्क करें या आहरण वितरण अधिकारी, कृषि आयुक्तालय कमरा नं. 250, पंत कृषि भवन, जयपुर के नाम 12/– रुपये का मनीआर्डर भेजें। स्वयं का साफ–साफ डाक का पूरा पता, पिन कोड़ नंबर व मोबाइल नंबर अवश्य लिखें।

डाक पं.सं. RJ/JPC/M-16/2012-14

आर.एन.आई – 70296/98

प्रेषक–
उप निदेशक कृषि (सूचना)
118, पंत कृषि भवन,
जयपुर–302005

प्रेषिति–

फलों और सब्जियों के सुरक्षित भण्डारण के लिए शून्य ऊर्जा शीत गृह

पिछले अनेक वर्षों से कई फलों और सब्जियों के उत्पादन में हम विश्व में सर्वोच्च स्थान पर हैं। परन्तु एक सच्चाई यह भी है कि उत्पादित फलों और सब्जियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा (लगभग 30–40 प्रतिशत तक) उपयोग में आने से पूर्व ही नष्ट हो जाता है। कटाई उपरांत परिवहन एवं संग्रहण में फलों और सब्जियों की न केवल मात्रा में हानि होती है अपितु उनकी गुणवत्ता में भी कमी आ जाती है जिससे वे अनेक बार मानव उपयोग के योग्य नहीं रह पाते हैं।

शून्य ऊर्जा शीत गृह एक ऐसी ग्रामीण उपयोगी तकनीक है जिसमें तेज गर्मियों में भी पत्तेदार सब्जियाँ 3 दिन और अन्य फल–सब्जियाँ एक सप्ताह तक बिना किसी गुणवत्ता ह्रास के सुरक्षित भण्डारित की जा सकती हैं, जबकि बाहर भण्डारण करने पर वे एक या दो दिन बाद ही खराब हो जाती हैं।

निमार्ण विधिः– शून्य ऊर्जा शीत गृह के निर्माण में कच्ची ईंटें, रेती, बांस, खस की टाटी और एक प्लास्टिक की चद्दर की आवश्यकता होती है। इसके अलावा पानी के लिये एक छोटी टंकी और फलों और सब्जियों को रखने के लिए प्लास्टिक की टोकरियों की आवश्यकता होती है। इस तरह से केवल 1000 रुपये के खर्च से ही एक अस्थाई शीत गृह का निर्माण किया जा सकता है। शून्य ऊर्जा शीत गृह के निमार्ण के लिए खुली छायादार जगह का चुनाव करना चाहिए जहाँ पर हवा का प्रवाह निरंतर होता हो जिससे जल का वाष्पीकरण हो सके और कक्ष के तापमान में कमी और नमी में बढ़ोतरी हो सके।

हवादार और छायादार खुले स्थान पर कच्ची ईंटों को जमाकर एक आयताकार चबूतरे का निमार्ण किया जाता है। 100 किलो तक फलों और सब्जियों के भण्डारण के लिए करीब 500 ईंटो की आवश्यकता होती है। करीब 165X115 से.मी का एक चबूतरा बनाया जाता है। इस चबूतरे पर गारे की सहायता से ईंटों की दोहरी दीवार का निर्माण किया जाता है। ईंटों की दोहरी दीवार के मध्य 7–8 सें.मी तक स्थान खाली रखा जाता है। दोहरी दीवार की ऊँचाई 60 से 65 से.मी तक

रखी जाती है। अपनी आवश्यकता अनुसार लम्बाई में परिर्वतन तो किया जा सकता है परन्तु चौड़ाई उतनी ही रखनी चाहिए जिससे फलों और सब्जियों के रखने और निकालने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आये। इसके पश्चात नदी की छनी हुई रेत (बजरी) को जल में भिगोकर दोहरी दीवार के मध्य बने खाली स्थान में भरा जाता है। रेत को जल से गीला करके भरा जाये तो रेत ईंटों के मध्य बनी जगह से बाहर नहीं निकल पाती है। बांसो को चीर करके उनकी टाटी या बोरी के टुकड़ों से एक ढक्कन का निर्माण किया जाता है। इस ढक्कन की लम्बाई और चौड़ाई पूरे भण्डारण कक्ष के समकक्ष रखी जाती है।

एक छोटी–सी पानी की टंकी को 4–5 फीट की ऊँचाई पर रख देते हैं जिसमें एक पाइप को लगा दिया जाता है। पाइप को ईंटों की दोहरी दीवारों के मध्य चारों तरफ घुमाया जाता है। साथ ही पाइप में 15–15 सें.मी की दूरी पर सुई या ऑलपिन की सहायता से छेद कर दिये जाते हैं जिससे जल का बूंद–बूंद करके रिसाव होता है और यह पानी रेत को गीला रखता है। रेत के साथ ही ईंटें भी पानी से तर हो जाती हैं फलों और सब्जियों को प्लास्टिक की टोकरियों में रख कर उन्हें इस शून्य ऊर्जा शीत गृह में रख दिया जाता है और ऊपर से ढक्कन लगा दिया जाता है। हवा के चलने से पानी का वाष्पीकरण होता रहता है और शीत गृह के अन्दर का तापमान कम हो जाता है साथ ही साथ शीत गृह के अन्दर नमी की मात्रा भी बढ़ जाती है।

महत्वपूर्ण बिन्दु :–

1. कक्ष में तापमान बाहर के तापमान से 10–15 डिग्री सेल्सियस नीचे रहता है।
2. कक्ष की वायु में नमी की मात्रा 80 से 85 प्रतिशत, जबकि वायुमण्डल में नमी 40 से 45 प्रतिशत रहती है।
3. इस पूरी कार्य प्रणाली के लिए किसी प्रकार की ऊर्जा जैसे बिजली आदि की आवश्यकता नहीं होती है।
4. इसमें प्रतिदिन सिर्फ 8 से 10 लीटर जल की आवश्यकता होती है।
5. बिना बिकी सब्जियों को अगले दिन बेचने के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है।

मिट्टी की जाँचः आज की आवश्यकता

प्रति इकाई क्षेत्र में फसल उत्पादन में वृद्धि, उत्पाद के गुणात्मक संवर्धन तथा मृदा उर्वरता प्रबंधन के लिए संतुलित पोषक तत्व प्रबन्धन सफल कृषि उत्पादन की कुंजी है। हर दूसरे वर्ष एक बार खेत की मिट्टी की जाँच करवा ली जाए तो ठीक है, वरना पोषक तत्वों की मात्रा में संतुलन बिगड़ने से भूमि के अनुपजाऊ होने का खतरा रहता है।

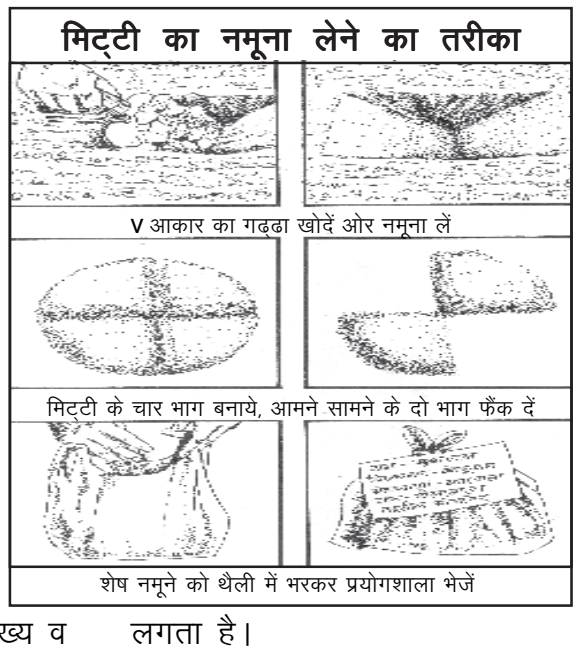

मिट्टी एवं पानी के नमूनों का जांच शुल्क :–

- मिट्टी नमूनों में समग्र जांच (मुख्य व सूक्ष्म पोषक तत्व) 5/–रुपये
- पानी के नमूनों का विश्लेषण 5/– रुपये
- जिप्सम–आवश्यकता का विश्लेषण (जी.आर.वैल्यू) 5/– रुपये

जांच के लिए मिट्टी का नमूना मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में सीधे ही या अपने क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक के माध्यम से भेज सकते हैं।

मिट्टी की जांच के फायदे :–

- फसल के लिए खाद एंव उर्वरकों की आवश्यक संतुलित मात्रा का पता लगता है।
- आवश्यकता से अधिक उर्वरक प्रयोग पर रोक लगती है, इससे पैसे की बचत होती है।
- आवश्यकता के हिसाब से उर्वरक प्रयोग करने से भूमि खराब होने का खतरा कम रहता है।

मिट्टी की जांच कराने का समयः– बुवाई से एक डेढ़ माह पूर्व मिट्टी की जांच करावें ताकि बुवाई से पूर्व ही परिणाम प्राप्त हो जायें तथा उसके अनुसार खाद एवं उवर्रकों की उचित मात्रा का उपयोग किया जा सके।

परख

मार्च, 2012 के अंक में प्रकाशित आलेख में से दो प्रश्न पूछे गये थे। सही उतर भेजने वाले कृषकों में से लॉटरी द्वारा दो विजेता कृषकों के नाम हैं–

1. **श्री हंसराज शिवरान**
पुत्र श्री नानूराम शिवरान
गाँव–रघुनन्दनपुरा, पोस्ट–मुण्डोति
तहसील–फुलेरा, वाया–जोबनेर
जिला– जयपुर–303328

2. **श्री भूरालाल शर्मा**
पुत्र श्री बद्रीलाल जी
नगरपालिका कॉलानी, चारभुजा रोड
जिला रासमन्द –3133332

इस माह के प्रश्न हैं –

प्र.1 शून्य ऊर्जा शीत गृह में तेज गर्मियों में पत्तेदार सब्जियों को कितने दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है ?

प्र.2 फार्म पोण्ड निमार्ण पर देय अनुदान राशि बढ़ाकर कितनी की गई है ?

तो आप भी उठाइये पैन व पोस्ट कार्ड और हमें लिख भेजिये इन दोनों प्रश्नों के जवाब इस पते पर – उपनिदेशक कृषि (सूचना), कमरा नम्बर 118, पंत कृषि भवन, जयपुर 302005

स्वत्वाधिकारी कृषि विभाग राजस्थान सरकार के लिये प्रकाशक एवं मुद्रक आयुक्त कृषि, कृषि विभाग राजस्थान, जयपुर द्वारा कृषि सूचना मुद्रणालय जयपुर से मुद्रित और पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर से प्रकाशित।

प्रकाशक	– श्री भवानी सिंह देथा
सम्पादक	– श्री हीरेन्द्र शर्मा
सह सम्पादक	– कु. पूनम चौधरी
परामर्श	– श्री के. आर. यादव
डिजाइन	– श्री आर. मैसी